फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सुभाष बनाम आयूष

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 57/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.18	अभिभाषक अपीलांट श्री जगदीश शर्मा व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 04–09–2018 को पेश हो।	
04.09.18	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के स्वयं के नाम वादगत् भूमि मौजा रोही उदाणा के चक 9 बीएचडी के मुरब्बा नम्बर 28/8 के किला नम्बर 5/1, 6, 15 में 2 बीघा 17 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 ता 15 व किला नम्बर 17/2, 18, 19, 20, 23/2 में 19 बीघा 4 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 28/22 के किला नम्बर 17 ता 20/2 में 3 बीघा 18 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28/24 के किला नम्बर 8, 11/2, 12 ता 14 में 4 बीघा 18 बिस्वा इस प्रकार कुल 30 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के बंटवारे बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30–04–2018 को वादगत् भूमि के बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। जिसके आगामी पेशियों पर निरन्तर बढ़ाया जाता रहा है। उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि को पैतृक सम्पति बताकर प्राप्त किया गया है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दादा के जीवनकाल में ही किसी का जन्म होता है तो ही वह पैतृक सम्पति में से अपना हिस्सा ले सकता है। जबकि प्रकरण में स्व.	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजाराम का देहान्त 15–16 वर्ष पूर्व हो चुका था, उस समय आयुष अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जन्म नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम से खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादगत् भूमि से अपीलांट का बेदखल किया गया तो अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–04–2018 की पालना निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30–04–2018 को वादगत् भूमि के संबंध में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान आगामी नियत दिनांक तक किये गये थे।

प्रकरण में अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ चुके है। चूंकि अपीलाधीन आदेश जिसकी अपील प्रस्तुत की गई है उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश की श्रेणी का आदेश है। जिसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। वादगत् भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में य होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30–04–18 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी किया कि वादगत् आराजी मौजा रोही उदाणा के चक 9 बीएचडी के मुरब्बा नम्बर 28/8 के किला नम्बर 5/1, 6, 15 में 2 बीघा 17 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 28/16 के किला नम्बर 1 ता 15 व किला नम्बर 17/2, 18, 19, 20, 23/2 में 19 बीघा 4 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 28/22 के किला नम्बर 17 ता 20/2 में 3 बीघा 18 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 28/24 के किला नम्बर 8, 11/2, 12 ता 14 में 4 बीघा 18 बिस्वा इस प्रकार कुल 30 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड के मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे व रहन बैय ना किया जावे। अप्रार्थीगण को उजर एतराज के लिए दिनांक 02–07–18 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–04–18 को पारित अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 02–07–18 निर्धारित की गई थी। प्रकरण में अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 24–09–2018 नियत की गई है। यदि अपीलांट को उक्त आदेश से किसी प्रकार का कोई एतराज है तो आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर व्यक्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। पक्षकारों को अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति है तो निर्धारित दिनांक को अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

अतः उक्त विवचेना के आधार पर अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Scanned by CamScanner